प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

कोर नेटवर्क तैयार करना।

1. I कोर नेटवर्क–परिभाषा
2. II कोर नेटवर्क क्यों ?
3. III कोर नेटवर्क स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम
4 क. ब्लॉक मानचित्र तैयार करना
5 ख. मार्किट केंन्द्रों तथा ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्रों की पहचान
6. ग. कोर नेटवर्क की पहचान
7. घ. कोर नेटवर्क सड़कों का संख्यांकन तथा डाटा का सारणीयन
8. IV विविध

1. कोर नेटवर्क–परिभाषा

कोर नेटवर्क उन ग्रामीण सड़कों का नेटवर्क है जो बसावटों को आधारिक पहुंच मार्ग उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक हैं। आधारिक पहुंच को प्रत्येक बसावट के लिए एकल बारहमासी सड़क संपर्कता के रूप में परिभाषित किया गया है। जैसा कि पहले निर्दिष्टि किया गया है, पीएमजीएसवाई के अंतर्गत प्रयास प्रत्येक पात्र बसावट को बारहमासी संपर्कता वाली अन्य बसावट से जोड़कर इस प्रकार एकल बारहमासी सड़क संपर्कता प्रदान करना है कि उनकी बाजार केन्द्रों तक पहुंच हो सके।

कोर नेटवर्क डीआरआरपी में बताए गए कुल नेटवर्क में से निकाला गया है तथा इसमें वर्तमान सड़कों के साथ–साथ संपर्कविहीन बसावटों के लिए निर्मित की जाने वाली अपेक्षित सड़कें शामिल हैं। तथापि इसमें डीआरआरपी की सभी विद्यमान सड़कें शामिल नहीं होंगी क्योंकि उद्देश्य आधारिक पहुंच स्थापित करना है अर्थात् प्रत्येक बसावट को एक बारहमासी सड़क संपर्कता प्रदान करना।

2. कोर नेटवर्क क्यों ?

कोर नेटवर्क के निम्नलिखित लाभ हैं ।

- यह सभी बसावटों को संपर्कता सुनिश्चित करने के लिए नए निर्माण उन्नयन की जरूरत को आशान्वित करने में सहायक होगा।
- आवश्यक नेटवर्क, जिसे हर समय अच्छी स्थिति में रखना अपेक्षित है को निर्दिष्ट करना मुख्यतया अभीष्ट है।
- यह जिले के अन्दर अनुरक्षण गतिविधि के विषय में स्त्रोतों के आबंटन को आसान्वित करेगा।

3. कोर नेटवर्क स्थापित करने हेतु आवश्यक चरण।

कोर नेटवर्क को स्थापित करने में निम्नलिखित चार मुख्य चरण शामिल हैं।

(क) जिला ग्रामीण सड़क योजना प्रक्रिया के अनुसार ब्लॉक मानचित्र तैयार करना।
(ख) मार्किट केन्द्रों की पहचान करना।
(ग) पात्र बसावटों को एकल पहुंच उपलब्ध कराने हेतु सड़कों के नेटवर्क की पहचान करना।
(घ) कोर नेटवर्क की सडकों का संख्यांकन तथा आकडों को सारणीबद्ध करना।

इन चरणों का विवरण नीचे दिया गया है।

(क) ब्लॉक मानचित्र तैयार करना।

1:50,000 स्केल पर स्थलाकृति मानचित्रों के प्रयोग से ब्लॉक मानचित्र तैयार करने का विवरण जिला ग्रामीण सड़क योजना तैयार करने हेतु कार्य प्रचालन पुस्तिका के पैरा 3.1.7 में पहले से दिया गया है। यह सुनिश्चित किया जाये कि ब्लॉक मानचित्र निम्नलिखित को दर्शाते है।

- 100 तक की जनसंख्या वाली सभी बसावटें
- निर्माणाधीन सड़कों के साथ–साथ ठेला पथों एवं अन्य (विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में) पथों सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा निर्मित सभी सड़के, अर्थात एनएच, एसएच, एमडीआर एवं ग्रामीण सड़कें।
- मुख्य दरिया/नदियां
- प्रशासनिक कार्योलयों का स्थान जैसे ब्लॉक, तहसील मुख्यालय
- ग्राम पंचायत मुख्यालय, पटवारी का कार्यालय आदि।
- स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं (पशु चिकित्सा सुविधाओं सहित)
- शिक्षण सेवा सुविधाएं
- मार्किट सेन्टर एवं ग्रामीण व्यवसायिक केन्द्र

- राज्य द्वारा अधिसूचित पर्यटकों के पसन्द के स्थान।
- उत्खन्न स्थल
- मार्किट केन्द्र, प्रशासनिक केन्द्र जैसे उप–मण्डल मुख्यालय तथा मुख्य सड़कें जो ब्लॉक की सीमा से बाहर है किन्तु ब्लॉक में बसावटों के काम आती है को ब्लॉक की सीमा के बाद आवश्य चिन्हित किया जाये।

(ख) मार्किट केन्द्रों की पहचान (विद्यमान एवं भविष्य के)

कोर नेटवर्क तैयार करने से पूर्व ब्लॉक में सभी मार्किट केन्द्रों की पहचान करने की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए है कि ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन के नमूनों का विश्लेषण यह प्रकट करता है कि अधिकतर यात्रा मार्किट केन्द्रों तक की जाती है। यह सामान्यता यातो बड़ी सड़कों के पास होते है अथवा कई बसावटों से आने वाली सड़कों के संगम पर होते हैं। क्योंकि इन तक ग्रामीण भीतरी प्रदेशों से पहुंचना आसान होता है तथा यह मुख्य सड़क नेटवर्क से जुड़े हेाते हैं, यह ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्रों की तरह काम करते हैं तथा सामान्यता यहां पर अतिरिक्त कृषि उपज का लेन–देन करने, बैंक सेवाओं एवं संचार सेवाओं की सुविधाओं के साथ–साथ कृषि निवेशों के लिए बड़े भण्डारों व उपभोक्त मदें (टिकाऊ एवं उपभोज्य) क्रय करने की सुविधाएं उपलब्ध होती है। कृषि उपकरणों की मरम्मत आदि जैसी सुविधाएं भी यहां उपलब्ध होती हैं। परिणामस्वरूप इन जगहों के लिए सम्भवता जन यातायात, उच्च शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा आदि जैसी सुविधाएं विकसित हो जाती हैं। मार्किट केन्द्रों की पहचान प्रकाशित जनगणना रिकार्ड/विपणन बोर्डों/स्थानीय पूछताछ से प्राप्त आंकडो के आधार पर की जानी चाहिए। कोर नेटवर्क में शामिल करने के उद्देश्य से मार्किट केन्द्रों की इस प्रकार पहचान की जानी चाहिए कि स्थानीय ग्रामीण लोक मार्किट केन्द्रों में जाकर उसी दिन वापिस आ जाये। अतः एक गावं तथा मार्किट केन्द्र के मध्य सामान्यता अधिकतम 15–20 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। कुछ क्षेत्रों में मार्किट केन्द्र पूरी तरह विकसित नहीं होते। ऐसे मामलों में बड़े गांव जो सड़क सम्पर्कता उपलब्ध होने के कारण उपयुक्त मार्किट केन्द्रों में विकसित हो सकते हैं, की पहचान की जानी चाहिए। सभी विपणन केन्द्रों को ब्लॉक के मानचित्र पर चिन्हित किया जाना चाहिए।

(ग) कोर नेटवर्क की पहचान

ब्लॉक मानचित्र में तीन तरह की बसावटें हैं– जो बारहमासी सड़कों द्वारा संपर्कित हैं (2) जो बिल्कुल संपर्कित नहीं है (3) और वह जो केवल अच्छे मौसम में चलने वाली सड़कों से जुड़ी है। संपर्कित बसावटों के मामलों में यह संभव है कि उनमें एक से अधिक सड़क संपर्क उपलब्ध हो। ऐसे मामले में सामाजिक आर्थिक अवसंरचना पैरामीटर मानदण्ड का प्रयोग कर सड़क का चयन किया जाना चाहिए। यदि कुछ कारणों से स्थानीय लोगों को कोई और सड़क विकल्प पसन्द हो तो उस सड़क का चयन किया जा सकता है। किन्तु किसी भी मामले में कोर नेटवर्क के लिए केवल एक सड़क का चयन किया जाना चाहिए क्योंकि उद्देश्य बुनियादी पहुंच उपब्ध कराना हैं। संपर्कविहीन बसावटों के मामले में एक समुचित सड़क संपर्क की पहचान की जानी चाहिए जोकि उपलब्ध रास्ते के संरेखण के अनुसार होगा। प्रायः एक संपर्कविहीन बसावट को एक से अधिक संपर्क उपलब्ध कराये जा सकते हैं। प्रायः मार्किट केन्द्र एक तालुका मुख्यालय से भिन्न दिशा में होता है और यदि संपर्क उपलब्ध कराने के विषय में कोई सर्वसम्मति नहीं बनती तो विभिन्न विकल्पित संपर्कों का विभिन्न सामाजिक आर्थिक सेवाओं के महत्व के आधार पर चयन किया जा सकता है। पीएमजीएसवाई केवल एकल संपर्कता उपलब्ध कराने पर विचार करती है, अतः उपयोगिता के आधार पर अत्यधिक कार्यक्षम सड़क संपर्क का चयन करना आवश्यक है।

अतः कोर नेटवर्क योजना समग्र ब्लॉक के लिए तैयार करनी होगी। तत्पश्चात इसकी फिर से जांच की जानी चाहिए कि सभी बसावटें संपर्कित है अथवा उन्हें नजदीकी मार्किट केन्द्रों से बारहमासी सड़क द्वारा सीधे अथवा पुरोक्ष रूप से जोड़ा जायेगा। यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बसावट सीधे मार्किट केन्द्र से जुडी हो। कार्य प्रचालन पुस्तिका के अध्याय–1 में दी गई बारहमासी सड़क की परिभाषा को देखे तो यह जरूरी नहीं है कि उस बसावट को सड़क उपलब्ध करायी जाये जो पहले से संपर्कित बसावट अथवा बारहमासी सड़क से 500 मीटर की दूरी पर है। ऐसी सभी बसावटों को उस संबंधित सड़क पर पड़ने वाली बसावटें माना जाना चाहिए। विधायकों सांसदों पंचायतों सहित निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा स्थानीय जनता से प्राप्त सुझावों एवं प्रस्तावों की विधिवत् जांच

की जानी चाहिए क्योंकि इनसे छूट गये पुलों एवं संपर्कों और स्थानीय समुदायों की अन्य आवश्यक मांगों के विषय में महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध हो सकती है। विद्यमान सड़क नेटवर्क, मुख्य मार्किट केन्द्रों का स्थल, स्थलाकृति संबंधि विशेषताओं एवं स्थानीय यात्रा की विधियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कोर नेटवर्क का निर्णय करते समय सर्वाधिक इस तथ्य को ध्यान रखा जाये कि ये मुख्यतः स्थानीय लोगों द्वारा प्रयोग में लाया जायेगा।

(घ) कोर नेटवर्क की सडकों का संख्यांकन तथा आकडों को सारणीबद्ध करना।

एक बार कोर नेटवर्क की पहचान हो जाने पर इन सभी सड़कों के ब्योरें सीएन–I से के प्रपत्र में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। प्रपत्र संलग्नक– I पर दिये गये हैं। प्रपत्र के आंकडों को ऑन लाईन प्रबंधन, मानीटरिंग एवं लेखाकरण प्रणाली (ओएमएमएएस) के डीआरआरपी मॉड्यूल में अपलोड अथवा दर्ज किया जाना चाहिए। संख्याकित करने के उद्देश्य से यह हमेशा सही रहेगा कि ब्लॉक के उत्तर–पूर्वी कोने से शुरू किया जाये तथा उतरोत्तर उच्च संख्याएं देते हुए दक्षिणावर्त्त कार्य करना चाहिए।

4. विविध

20. हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों में मुख्य जिला सड़कें (एमडीआर) तथा राज्य राज मार्गों (एसएच) जैसी मुख्य उच्चतर सड़कों का नेटवर्क पूरी तरह विकसित न हो और मुख्य पुलों में से कई छूट गये हो। किन्तु ग्रामीण सड़कों में किया गया निवेश तब तक अपेक्षित परिणाम नही दर्शायेगा जब तक इन मुख्य सड़कों व पुलों का निर्माण नहीं किया जाता। ऐसी सड़कों और पुलों की आवश्यकताओं की पहचान की जानी चाहिए चाहे इन्हें प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल न किया जाना हो। ऐसी सूचना लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि वह इन्हें अपनी योजनाओं में समाविष्ट कर सके।